

संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर
बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. /
बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

—: गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) प्रवेशार्थियों हेतु काउंसिलिंग सूचना ::—

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2017-18 में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष) विभाग नई दिल्ली/राज्य सरकार से अनुमति/विश्वविद्यालय से संबद्धता के आधार पर आयुष महाविद्यालयों के अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2017 में सम्मिलित गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) प्रवेशार्थियों को काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में न्यूनतम 60 प्राप्तांक (30 प्रतिशत) है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु दिनांक 30.10.2017 को प्रातः 9.00 बजे से 11.30 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं।

जिन आयुष महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहेंगी उन्हीं संस्थाओं में गैर मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीटों की पूर्ति की जावेगी। संस्थावार रिक्त सीटों का विवरण दिनांक 27.10.2017 को सायं से वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों को निम्न कम में व्यवस्थित कर उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

1. व्यापम प्रवेश परीक्षा-2017 की अंकसूची।
2. 10 वीं की मूल अंकसूची।
3. 12 वीं की मूल अंकसूची।
4. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें।
6. काउंसिलिंग शुल्क ₹.500/- नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा, जो "प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" या "Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो। उक्त राशि वापसी योग्य नहीं है।


11. शैक्षणिक शुल्क :-

- (1) काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग शुल्क /शैक्षणिक शुल्क की राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो "प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" या "Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो।
- (2) काउंसिलिंग के समय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर का शुल्क - सामान्य / ओ.बी.सी.के लिए ₹ 8,635/- तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए ₹. 3,235/- तत्काल

जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।

- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय, मनकी राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 55,620/-** राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय चंदखुरी दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 56620/-** तथा महावीर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स राजनांदगांव के अंतिम शुल्क का 50 प्रतिशत **रु.55,620/-** तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (4) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो: होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 28,140/-**, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 27,640/-**, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 27,140/-**, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 27,640/-** तथा मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **रु. 29,400/-** तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।
- (5) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

- नोट :-
- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।
 - (2) रिक्त सीटों का विस्तृत विवरण अंतिम रूप से काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्था किया जावेगा।
 - (3) काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी।
 - (4) काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.cgaupcb.in एवं cghealth.nic.in/ehealth/dishm/index.html पर उपलब्ध है।


संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़